

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर



शुद्धिपत्र क्रमांक 06/07/2017, दिनांक 23.02.2018

सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017

कुछ विषयों में अतिरिक्त सह-विषयों का संयोजन तथा
अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) की आय सीमा में वृद्धि की सूचना

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2017, दिनांक 12.12.2017 आयोग की वेबसाइट तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 18.12.2017 के अंक में प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं:-

02 सहविषयों में संयोजन


उक्त विज्ञापन की कंडिका दो में उल्लेखित सह-विषय विषयक टीप में, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 21.02.2018 के अनुपालन में निम्न विषयों में अतिरिक्त सहविषय शामिल किए जाते हैं:-

क्रं.	विषय	सह विषय (Allied Subject)
1	वनस्पतिशास्त्र (Botany)	1. औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान (Industrial MicroBiology) 2. जीव विज्ञान (Life Science) 3. आनुवंशिकी यांत्रिकी (Genetic Engineering)
2	राजनीतिशास्त्र (Political Science)	1. मानव अधिकार (Human Right)
3	प्राणीशास्त्र (Zoology)	1. आनुवंशिकी यांत्रिकी (Genetic Engineering)
4	रसायनशास्त्र (Chemistry)	1. इन्स्ट्रुमेंटेशन एण्ड कामर्शियल मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस (Instrumentation and Commercial method of Industrial Analysis MICA)
5	वाणिज्य (Commerce)	1. एमबीए ह्यूमन रिसोर्स (MBA- Human Resource Management)

03 अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) की आय सीमा में संशोधन

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 28/2009/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 02 नवंबर 2017 द्वारा भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के जापन No. 36033/01/2013-Estt(Res.), दिनांक 13 सितंबर 2017 के अनुरूप सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) की आय सीमा 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है। उक्त संशोधित आय सीमा मान्य की जाती है।

03 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।


सचिव

